

FROM No.III

फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत.....सदामक कलेक्टर..... मुकाम..... (SDO) दामा.....

.....मोहनलाल..... बनाम..... मंगलम चौक.....

किस्म मुकदमा..... नं..... 31/10/20 सन् 2020.....

तारीख हुकम	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
7/10/2020	<p>प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री <u>रविशंकर मिश्रा</u></p> <p>ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा <u>111, 128</u></p> <p>राजस्थान काशतकारी/भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है।</p> <p>जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी /प्रतिवादी/रेस्पोंडेंट जरिये नोटिस/सम्पन्न तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक <u>19/10/2020</u> को पेश हो।</p>	
19/10/2020	<p>प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थी/वादी के नोटिस तामिल किस तामिल काल इन्तजार होकर पत्रावली दिनांक 27/10/20 को पेश हो।</p>	
27/10/20	<p>प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थी/वादी के नोटिस तामिल सुद्धा प्राप्त जिसे शामिल पत्रावली किया गया। विप्रार्थी/वादी वाक्यु तामिल अनुपस्थित। न्यायालय समय तीन बार कालज लगाई गई अंततः कालज 5.45 pm पर लगाई गई विप्रार्थी/वादी का उन्ही कोर्ट से कोई अधिकता उपस्थित नहीं हुआ विदाजा विप्रार्थी/वादी के विरुद्ध एडवोकेट आम्बेदी कमल के लार्ज जारी है। प्रार्थी के अधिकता से एडवोकेट वदम लार्ज गई प्रार्थी अधिकता करार बतमाया है प्रार्थी</p>	

रविशंकर मिश्रा
सहायक कलेक्टर
(SDO) दामा



व विपक्षियों के आदेशों के तहत पास
 किये हुए हैं। प्रार्थी व विपक्षियों के बीच
 मध्य जो पुरानी मांग व ठोके आगे हुए थे
 जो वर्तमान में क्रियाओं की वजह से विस्था
 गये हैं जिससे प्रार्थी को अपने स्वतंत्र सेवों
 का सही ज्ञान नहीं है या रहा है प्रार्थी व
 विपक्षियों के मध्य स्वतंत्र सेवों का लेबल
 हमेशा तनाजा बना रहता है। प्रार्थी को अपने
 स्वतंत्र सेवों का सही ज्ञान करने हेतु नैयम-
 बन्दी इकाई का प्रयुक्त हो इसलिए प्रार्थी का नैयम-
 बन्दी कावेडन स्वीकार किया जाकर नैयमबन्दी को
 किया जावे। कतः प्रार्थी अधिवक्ता के विवेदन पर
 प्रार्थी का नैयमबन्दी कावेडन स्वीकार किया जाकर
 तद्वतीलगत वायुदु को इमिग्रान्त व सम्बन्धित शूटिंग-
 लेव्य मिस्ट्रिड को सहायक इमिग्रान्त नियुक्त किया
 जाकर कोष दिया जाता है कि क्रय स्वयं या
 सहायक इमिग्रान्त से प्रार्थी के आदेशों के तहत की
 पक्षी नैयमबन्दी मॉड्य पर इमिग्रान्त सुलु जमाकराकर
 करें। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली
 है, पत्रावली केसल सुमार होकर ड्रज नम्बर ले
 कर है दायित्व दायता है।

वि. व. 11/11

सहायक कलक्टर
(SDO) वायुदु

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बायतु

दिनांक:- 27/10/2020

क्रमांक/वाद/2019/ 884
जस्व आवेदन संख्या - 310/2020

प्रार्थीगण

बनाम

विप्रार्थीगण


श्री मोहनलाल पुत्र रावताराम
वगैरा 11 जाति जाट निवासी
सियागों की ढाणी, माडपुरा
बरवाला, तह. बायतु जिला
बाड़मेर

श्री मगाराम पुत्र गिरधारीराम वगैरा
49 जाट निवासी सियागों की ढाणी,
माडपुरा बरवाला, तह. बायतु जिला
बाड़मेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128, 111 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956


आदेश

प्रार्थीगण के खातेदारी खेत मौजा-सियागों की ढाणी, पटवार मण्डल-माडपुरा बरवाला, तहसील-बायतु, जिला-बाड़मेर के खेत खसरा नम्बर 708, 704 रकबा क्रमशः 64.3560, 2.1196 हैक्टेयर भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है। खातेदार को यह अधिकार है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान/नेखमबंदी करा सकता है। लिहाजा प्रार्थीगण का आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार बायतु को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि कमीशनर स्वयं या सहायक कमीशनर से प्रार्थीगण के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर निर्धारित कमीशनर शुल्क 500/- जमा कराकर करें तथा पालना रिपोर्ट पेश करें। अपेक्षित होने पर संबंधित थानाधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।


(विवेक व्यास)
उपखण्ड अधिकारी बायतु
दिनांक:- 27/10/2020

क्रमांक/वाद/2020/ 885-889
प्रतिलिपि - निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार, बायतु।
2. पटवारी हल्का, माडपुरा बरवाला को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी श्री मोहनलाल पुत्र रावताराम वगैरा 11।
4. विप्रार्थीगण श्री मगाराम पुत्र गिरधारीराम वगैरा 49।
5. थानाधिकारी, पुलिस थाना, नागाणा।


सहायक कलेक्टर
उपखण्ड अधिकारी बायतु